राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 01] पन्द्रहवीं विधान सभा के पहले सत्र का दूसरा दिवस [संख्या: 02

बुधवार,

16 जनवरी 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया, अस्थायी अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम-राम, साहब। भविष्य में यह याद रखें कि समय से पहले आकर अपनी सीट पर बैठने का प्रयास करें। यह दृश्य अच्छा नहीं है। शपथ।

शपथ/प्रतिज्ञान

नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

(माननीय सदस्य ने उनके नाम के सम्मुख अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की।)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1	2	3	4
	(माननीय सदस्यों द्वारा पूर्व शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान से क्रमवार)		
198.	श्री हेमाराम चौधरी	शपथ	हिन्दी

(11.01 बजे)

(श्री महादेव सिंह खंडेला, सभापति, पदासीन)

अध्यक्ष का निर्वाचन

सी.पी. जोशी, श्री, सदस्य का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन

श्री सभापति: अध्यक्ष का निर्वाचन। श्री अशोक जी गहलोत।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "श्री सी.पी. जोशी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-181) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।"

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री सभापति: श्री सचिन पायलट।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं "श्री सी.पी. जोशी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-181) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।"

(11.02 बजे)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया, अस्थायी अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती वसुन्धरा राजे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं "श्री सी.पी. जोशी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-181) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।"

श्री अध्यक्ष: डॉ. महेश जोशी।

डॉ. महेश जोशी (हवामहल): अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री महादेव सिंह।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं "श्री सी.पी. जोशी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-181) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।"

श्री अध्यक्ष: श्री आलोक बेनीवाल। (अनुपस्थित) श्री कान्ति प्रसाद।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं "श्री सी.पी. जोशी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-181) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।"

श्री अध्यक्ष: श्री बाबू लाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां। (अनुपस्थित) श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं "श्री सी.पी. जोशी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-181) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।"

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बैनिवाल।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री अशोक गहलोत, सदस्य, विधान सभा, (विभाजन संख्या-14) ने प्रस्तुत किया तथा जिसका अनुमोदन श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-43) ने किया है, स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

श्री सी.पी. जोशी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-181) सर्वसम्मति से राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अध्यक्ष जी को लेकर आएं आसन पर।

(11.08 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पहले आप अगर बधाई शुरू कर दें तो हम भी बधाई दे दें। हमारे सबके अध्यक्ष हैं अकेले आपके नहीं हैं। आप बधाई शुरू करें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): शुरूआत ही आप कड़वी करना चाह रहे हो।

बधाई एवं आभार

सी.पी. जोशी, श्री, सदस्य, के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मत निर्वाचन पर बधाई

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से सबसे पहले आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद व

(श्री अशोक गहलोत)

बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका इस सदन से रिश्ता करीब 38 साल पुराना है। लम्बे समय तक आपने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपने कंट्रीब्यूशन से मंत्री के रूप में भी और विधायक के रूप में भी। पक्ष में भी और विपक्ष में भी। केन्द्र में भी आप मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। वहां भी आपने अपनी अमिट छाप छोड़ी। पार्टी के अन्दर भी आप विभिन्न पदों पर रहे। चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात हो, चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में काम करने का अनुभव हो। आपमें एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन की क्षमता भी रही है। यह एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपके नाम का प्रस्ताव पक्ष ने, विपक्ष ने और तमाम पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, बीएसपी, बीपीटी, हनुमान जी की पार्टी बोतल वाली और निर्दलीय, और कोई नाम भूल गया क्या? (व्यवधान) सीपीएम तो है ही, वह तो सिरमौर है, सीपीएम का सदन में हमेशा व्यवधान रहता ही है। सबने मिलकर आपके नाम का प्रस्ताव किया और सर्वसम्मति से आप चुने गये और जब सर्वसम्मति से चुने जाते हैं तो जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। इसका अनुभव कैलाश मेघवाल जी को भी है, दीपेन्द्र सिंह शेखावत जी को भी है। पक्ष-विपक्ष सबको आपको डील भी करना है, उनकी भावनाओं की कद्र भी करनी है और अपनी निष्पक्ष राय भी देनी है और आपकी फितरत में है कि आप निष्पक्ष राय देने में अपना कमिटमेंट रखते हैं, मुझे मालूम है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष को कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। परन्तु, परन्तु कृपया अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के रूप में आप प्रस्तावित हुए हों तो हमारे लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये, कृपया ध्यान रखना। इस बारे में आप देखें कि लोग क्या सोचेंगे, विपक्ष क्या सोचेगा और हमारे सदस्य के साथ अन्याय हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे निष्पक्ष होकर ही फैसला करेंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे। आपकी क्षमता, आपकी योग्यता, आपके विचारों से सब अवगत हैं। आपके व्यवहार से भी अवगत हैं। आपने खुद ने भी कहा कि मैं अभी तक तो खाली सुनाता आया हूं, अब मुझे सुनने की भी एक जिम्मेदारी मिल रही है। मुझे विश्वास है कि आप सबकी बात सुनकर फिर फैसला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: अपनी ओर से और आप सब की ओर से आपको बधाई। आपका

(श्री अशोक गहलोत)

कार्यकाल बहुत ही उत्तम रहे, कामयाब रहे, उसके लिये मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के सर्वोच्च पद पर पक्ष और विपक्ष के सभी बन्धुओं ने मिलकर एक मत से आपको यह गरिमामय पद सब की सहमति से प्राप्त हुआ, उसके लिये मैं आपको हृदय से और मेरी पार्टी की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

इस देश के महापुरुषों ने इस देश में जिस लोकतंत्र की स्थापना की है, उस लोकतंत्र के संचालन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके आसन की है। पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी बात रखते हैं और हम सभी का ध्येय एक ही होता है कि हम सब जनता के लिये काम करें। सत्ता पक्ष अपना काम करता है। प्रतिपक्ष के नाते जनता के हर हित की रक्षा करना हमारा दायित्व है, उस दयित्व को निभाने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे। आसन से हम इतना ही चाहते हैं कि प्रतिपक्ष की मन की भावना को जो हमारी नहीं है, जनता की है, उसको आप तक और इस सदन के माध्यम से राजस्थान की 7 करोड़ जनता को पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम प्रतिपक्ष के नाते जनता के हर हित की रक्षा के लिये कटिबद्ध हैं और उसके अनुसार अपने आचरण के द्वारा राजस्थान की जनता को आश्वस्त करते हैं कि जो आपके द्वारा मैंडेट हमको मिला है, हम उसको सर माथे पर रखकर स्वीकार करते हैं और लोकतंत्र की इस गाड़ी को पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस लोकतंत्र को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयत्न करें। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से आपको इस पद पर आसीन होने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे यह जरूर चाहूंगा कि हम प्रतिपक्ष के लोग हैं, हमें भी जनता की हर समस्या को आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने में आपका सहयोग बना रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर इस गरिमामय आसन को मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत बधाई। 12वीं विधान सभा में हम आपके साथ विधायक रहे, उस समय हमें आपको सुनने का बहुत अवसर मिला। घंटों तक हम सुनते थे, हमारा ज्ञानवर्धन होता था, इस बार उस बात से हम जरूर वंचित रहेंगे लेकिन हमें

(श्री खुशवीरसिंह)

उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अभी जो बात कही, उसकी मध्यस्थता हम करेंगे और आप हमें पूरा अवसर प्रदान करेंगे, धन्यवाद।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मेरी ओर से और मेरी पार्टी आरएलपी, चुनाव चिह्न बोतल ...(व्यवधान) वह बोतल यह वाली नहीं थी, मेरी अलग पानी की बोतल थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सर्वसम्मति से बधाई देता हूं। राजस्थान की विधान सभा में जो 199 विधायक हैं जो कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों से चुनकर आये हैं, सबकी इच्छा भी थी कि सी.पी. जोशी जी जैसे वरिष्ठ सदस्य जो प्रोफेसर, एक शिक्षक और जब हम विश्वविद्यालय में अध्यक्ष हुआ करते थे, तब विपक्ष में लड़ते हुए हमने आपको देखा। पक्ष में रहकर जो आपकी कार्यशैली है, जो सिटिंग पावर है, लगातार बैठे रहकर जो निर्णय, अड़िग और जो आपका जिद्दीपन है, वह भी इस राजस्थान की जनता ने देखा। अध्यक्ष महोदय, बस हम आपसे इतनी ही उम्मीद करते हैं कि आप विपक्ष का तो संरक्षण करोगे ही, हमारी जैसी जो छोटी पार्टियां हैं, इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे ताकि आगे यह राजस्थान में बड़े पौधे बनें। पूरे राजस्थान में आज खुशी की लहर है कि सी.पी. जोशी जैसे विद्वान व्यक्ति, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष के गरिमामय पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। पूरा स्टेट आपकी ओर देख रहा है। अभी नई सरकार बनी है, नई शुरुआत है तो आप ऐसे निर्णय लेंगे, ऐसी संवेदनशीलता, पारदर्शिता सरकार के साथ-साथ आपके संज्ञान में हम लोग और विपक्ष लायेंगे तो आप यहां से भी सरकार को निर्देशित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस शुभ अवसर पर ज्यादा तो नहीं कहना चाहता लेकिन जब हम पिछली बार विपक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष में थी, हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी की 170 सीट थीं। किस तरह विधायकों को +++ बाहर निकाला गया, उस चीज को भूले नहीं। और तो और, जब 12 तारीख को विधान सभा भंग हो गई, उसके बाद भी आपके +++ इस तरीके से था ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) +++ ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह नई परम्परा नहीं डाली जानी चाहिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ...(व्यवधान) यह कभी नहीं हो सकता, यह सदन की परम्परा के विपरीत है। (व्यवधान) यह नई परम्परा डाल रहे हैं, इसको एक्सपंज किया जाये।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम विधायकों को +++ कहा गया...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

माननीय सदस्यगण, जो बात असंसदीय कही गई है, उन्हें निकालने का अधिकार है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उन चीजों को निकाला जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो बधाई के रूप में बात कही है, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपका संसदीय ज्ञान, आपका अनुभव, आपकी कुशाग्र बुद्धि, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपकी निडरता और आपकी निष्पक्षता, निश्चित तौर पर इस आसन को सुशोभित करेगी। अध्यक्ष महोदय, यह विक्रमादित्य का आसन है। यह आसन वह आसन है, जहां आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और कम बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा का शानदार संसदीय इतिहास रहा है, गरिमापूर्ण इतिहास रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व में यह इतिहास और आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, कल तक आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और आज सर्वसम्मति से निर्वाचित होकर आप जिस आसन को सुशोभित कर रहे हो, आज आप दलीय सीमा के बाहर चले गये। अध्यक्ष महोदय, इसको इस रूप में मत लेना, हो सकता है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कारण दलीय सीमा से बाहर करने के लिए आपको इस आसन पर विराजा होगा, पर अध्यक्ष महोदय, आप जैसे अध्यक्ष को पाकर हम लोग गौरवान्वित हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय, आप भाषा के नियंत्रण को खो रहे हैं। आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आपके पास बहुत अनुभव है। आपके अनुभव से, आपके ज्ञान से, आपकी निष्पक्षता से प्रतिपक्ष को आपका संरक्षण मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अध्यक्ष महोदय, आप विभिन्न पदों पर विराजे हैं, जिनका उल्लेख सदन के नेता ने किया है। इसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

साथ ही आपने आर.सी.ए. जैसी संस्था को चला दिया, तो यह तो राजस्थान की विधान सभा है, यह आपके नेतृत्व में और गरिमापूर्ण रूप से आगे बढ़ेगी, आपका हमें संरक्षण मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, ढेरों सारी बधाई, ढेरों सारी बधाई।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कहने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष के पास पावर है। जो भी असंसदीय शब्द हैं, उनको डिलीट कर दिया जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चुनाव परिणाम आये और उसके बाद जब सरकार बनी, माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने शपथ ली और उसके बाद जब मंत्रिमण्डल का गठन हुआ तो राजस्थान के लोगों को उस समय बहुत निराशा हुई कि राजस्थान की कैबिनेट में डा. सी.पी. जोशी का नाम नहीं है, क्योंकि पूरा राजस्थान जानता है कि राजस्थान के मंत्री के रूप में और भारत सरकार के मंत्री के रूप में आपने इस देश और प्रदेश में विकास के नये आयाम स्थापित किये। इससे लोगों के मन में गहरी निराशा थी, लेकिन देर आयद, दुरुस्त आयद।

मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति भी बहुत आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने आप जैसे प्रतिभावान व्यक्तित्व को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के सर्वोच्च आसन पर सुशोभित करने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दस साल इस विधान सभा में आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत सीखा है और आसन से माननीय सदस्यों की क्या तकलीफ रही है, क्या पीड़ा रही है, उस संघर्ष में आप स्वयं हमेशा भागीदार रहे हैं और आपने इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिये हमेशा लड़ाई लड़ी है। इस नाते इस सर्वोच्च पद पर आसीन होने से हम सभी माननीय सदस्यों की आपसे बहुत अपेक्षा बढ़ गई है। विगत वर्षों में, चाहे सदन के भीतर रहे हों, चाहे सदन से बाहर रहे हों, ऐसे अनेक नियम जो राजस्थान विधान सभा ने कार्य संचालन के बना रखे हैं, उनके उपयोग को सीमित करने का काम +++ होता रहा है। जहां कहीं भी पार्टी का हित हो, व्यक्तिगत हित हो, उनसे जुड़े हुए प्रश्न भी आये, तो हम सब ने देखा कि +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आसन पर टीका-टिप्पणी नहीं हो सकती। हमारी संसदीय परम्पराओं, नियमों, प्रक्रियाओं में अध्यक्ष, चाहे पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वर्तमान अध्यक्ष हो, अध्यक्ष पर टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सदस्य, यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्षीय आसन पर टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती। यह परम्परा उचित नहीं है। मैं माननीय सदस्य को टोकना नहीं चाहता।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये डायरेक्शन देने वाले आप कौन हैं?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, राठौड़ साहब की आदत है बीच में बोलकर अपनी बात कहने की। जब सब लोग बोल रहे हैं, सम्मान के साथ बोल रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे है। नये अध्यक्ष पर लोग भरोसा करते हैं कि मेरे अध्यक्ष को मैं अपने मन की बात कहूं, कोई कमी है तो उसको बताऊं। हर सदस्य को अधिकार है कि यदि पुरानी परम्पराओं में कोई कमी रह गयी, पुरानी बात में कोई कमी रह गयी, पुरानी परम्पराओं व पुरानी सरकारों में कोई कमी रह गयी और नये अध्यक्ष ने कार्यभार लिया है तो राजस्थान में विधान सभा की जो परम्पराएं रही हैं और वे परम्पराएं एक-दो बार टूट गयी हैं तो नये अध्यक्ष से लोग उम्मीद करते हैं। नया अध्यक्ष जब विद्वान और प्रोफेसर हो और जब लोगों के संदेश की बात आयी तो अब यह संदेश जाना चाहिए कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। हर बात पर खड़े होकर हर व्यक्ति अपनी बात को मनवाना चाहे, दूसरों के शब्द मुंह से निकालना चाहे, यह परम्परा तो हमारे यहां की है ही नहीं। हम तो सब एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। यहां पर ये उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जिसके आदरणीय भैरोंसिंह जी खुद नेता रहे और जिनका नाम आज भी पक्ष और विपक्ष लेता है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि यदि कोई परम्पराएं पहले गलत हो गयी हैं और गलत निर्णय हो गये हैं तो, अध्यक्ष जी, मोरल ड्यूटी सदन की बनती है कि जिसने गलती की, वह गलती को स्वीकार करे। कहीं पर जो गलती हो जाती है तो वह अपनी गलती को स्वीकार करता है और माफी मांगता है। कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने खुद ने अखबारों में पढ़ा कि +++ नहीं सकता और उसके बाद विधान सभा आहूत की जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मत बहस चालू करो...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप बहस को कहां ले जा रहे हो ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): बीच-बीच में खड़े हो रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष जी, ऐसे आरोप-प्रत्यारोप कोई नहीं सुनेगा। अध्यक्ष जी, ऐसे आरोप-प्रत्यारोप नहीं करने दें। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। हम 84 लोग नए भी आये हैं। हम भी यह चीज सीखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। प्लीज बैठें। माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अवसर की गरिमा को देखते हुए हम वही बात कहें जो संसदीय परम्पराओं के अनुसार हो, हम व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी को अवाइड करें और जहां तक हो सके, पुरानी बातों को भूलें। नया इतिहास बनाने की चर्चा करें। ऐसी मेरी आप सबसे अपेक्षा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं ..

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं बोल रहा हूं। प्रतिपक्ष के नेता पहले खड़े हुए हैं। मेरी बात कमप्लीट नहीं हुई। Let me complete first.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में आप भी इतने लम्बे समय तक रहे, मैं भी रहा हूं। जब कभी भी अध्यक्ष के चुनाव पर जो भी धन्यवाद दिया जाता है। उसमें अब तक तो मैंने कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं सुनी। मैं सोचता हूं कि इससे पहले भी कई अवसर आये होंगे, जहां कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन इस अवसर का यह उपयोग मैंने अब तक कभी नहीं देखा। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, आपके प्रति आसन पर विराजमान होने से हम सब लोग आपका स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन आसन के इस समय को भी अगर हमने इस ढंग से आलोचना में डाला तो, मैं सोचता हूं कि यह लाइन ही गलत चली जाएगी।

ऐसा नहीं है कि हमको बोलना नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं। इसका अर्थ कोई यह न समझा जाए कि केवल सुनने के लिये ही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यहां बैठे हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन मर्यादाओं और जिस समय का अभी जो अभिप्राय है, उस तक सीमित रहकर सदन का अच्छा माहौल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि प्रारम्भ से ही अगर इस प्रकार की टीका-टिप्पणी करें तो ऐसा कौन-सा कार्यकाल नहीं निकला होगा, जिसमें कोई अवसर नहीं मिला होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं इतना तो थोड़ा जानता हूं। मैं इतना तो थोड़ा समझता हूं। मैंने आपको नहीं कहा है। मैंने यह कहा कि इस सदन की परिपाटी और इस सदन की गरिमा को बनाये रखना हम सब लोगों का दायित्व है। ऐसे भी अवसर आएंगे, जिन अवसरों पर हम अपने मन की बात कहीं कहना चाहें तो कह सकते हैं लेकिन यह पहली बार है जब अध्यक्ष के सर्वसम्मति से चुनाव के अवसर पर हमने एक-दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का प्रयास किया है। यही सदन की गरिमा के खिलाफ है। जब कभी-भी आपको लगता है तो किसी और तरीके से आप अपनी बात को लाइये। सदन में आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं सोचता हूं कि आसन के प्रति इस अवसर पर इस प्रकार की टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है और माहौल को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। माहौल को गलत दिशा में ले जाने का प्रयत्न करेंगे तो मैं सोचता हूं कि यह पहला दिन है। पांच साल इसी तरह से अगर माहौल बिगड़ता रहा तो हम उस सात करोड़ की जनता की सेवा नहीं कर सकेंगे। केवल और केवल अपने मन में जो गुबार हैं, उसको निकालकर अपने आपको हाइलाइट करने का प्रयत्न जरूर कर सकते हैं, पर हम जो जनता के सेवक बनकर आये हैं, वह काम नहीं कर पायेंगे। मेरी आपके माध्यम से सदन के प्रत्येक सदस्य को विनम्र प्रार्थना है कि समय की मर्यादाओं को समझकर कि क्या बोलना उचित है और क्या बोलना उचित नहीं है, इस पर जरूर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है, उस बात में दम है। वास्तव में आज का वक्त यह है कि जब हम लोगों ने नया अध्यक्ष चुना है सर्वसम्मति से, तो मैं चाहूंगा कि आपने कहा कि कई अवसर आएंगे, जब पोस्टमार्टम होते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। आज हम लोगों ने सबने मिलकर अध्यक्ष का चुनाव किया है। आज के दिन

(श्री अशोक गहलोत)

हम सब मिलकर जब अपनी बात कहें तो उस सीमा में कहें, जिससे आज के ओकेजन की गरिमा बनी रहे। धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं अंतिम बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन नियम में सदन की 60 बैठकों का प्रावधान है और यह अत्यन्त खेद का विषय है कि चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, कभी भी सदन की बैठकें 30 का आंकड़ा नहीं पार कर पाईं। चूंकि आप इन सारी प्रक्रियाओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं तो आपके माध्यम से सदन के हम सभी सदस्यों की यह अपेक्षा रहेगी कि या तो इस 60 बैठक के नियम को कानून में बदला जाए और नहीं तो आप यह सुनिश्चित करें कि आने वाले पांच साल में हर साल सदन की 60 बैठकें अवश्य हों। आपसे पुन: एक बार मैं विनती करता हूं कि आप सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरी पार्टी बीएसपी आपके लिए बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती है। हम यहां पर नये सदस्य बहुत-से आये हैं और हम यहां पर सीखने के लिए आये हैं और हम सभी आपसे आशा करते हैं, आपको राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत का अनुभव है, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का अनुभव है, आप इस सदन को गरिमा के अनुसार चलाएंगे। हम सब आपके लिए बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको 15वीं विधान सभा में निर्विरोध निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं और बधाई अर्पित करती हूं। इस सदन की पुरानी परम्परा रही है निर्विरोध अध्यक्ष चुनने की, इसलिए आपका दायित्व और भी बढ़ता है। इस आसन पर रामनिवास जी मिर्धा, पूनमचंद जी विश्नोई, भाभड़ा साहब, परसराम जी मदेरणा जैसे दिग्गज बैठे थे, इसलिए आपका दायित्व और भी गम्भीर हो जाता है। अनेक माननीय सदस्यों ने अपना अनुभव इस सदन में और आपके साथ जो समय बिताया, उसकी चर्चा की। इस सदन, 15वीं विधान सभा के अंदर कागजी तारीख में मेरा परिचय यह है कि मैं पहली बार विधायक चुनकर आई हूं। लेकिन मैं इस वैल में पहले भी आई हूं और यह रिश्ता मेरा जन्म से तय हुआ कि 1998 में जब आप तत्कालीन सरकार में पंचायती राज मंत्री थे, स्वर्गीय परसरामजी मदेरणा अध्यक्ष थे तब इसके रख-रखाव और संरक्षण को देखने के लिए आते

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

थे, तब मैंने उनके साथ, उनकी परछाई में दौरा किया। उनका राजनीतिक स्वर्गारोहण हो रहा था, तब इसी दीर्घा में बैठकर मैं उसकी सहयात्री बनी। मैं इसकी संसदीय पद्धति और संस्कृति को बखूबी जानती हूं।

परिवार की छत्रछाया से बाहर निकलकर जब मैंने जिम्मेदारी उठाई तो आपके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बाद में पंचायती राज के रूप में मैंने अपना राजनीति का पहला कदम रखा। मुझे नजदीक से आपकी कार्यशैली को देखने का अनुभव हुआ और मैं बड़ी दृढ़ता से यह कह सकती हूं कि आपकी स्पष्टवादिता, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपका सटीक तरीके से अपना दृष्टिकोण रखना और अत्यन्त विचारशील और अत्यन्त अधिक अध्ययनशील आपका व्यक्तित्व है और आपकी स्पष्टवादिता मुझे मृग कस्तूरी-सी प्रभावित करती है। अनेक पदों पर आप रहे। आप 1980 के अंदर सातवीं विधान सभा में पहली बार विधायक बनकर आए तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। जितना आपका अनुभव है, उतनी मेरी उम्र भी नहीं हुई है। आपके ज्ञान से निश्चित रूप से यह सदन नये कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं कहना चाहती हूं कि जो पहली बार जीतकर इस सदन में आए हैं, हम फ्रंटफुट पर छक्के लगाने के लिए तैयार हैं। आप कृपया हमारे ऊपर अपना आसन बनाए रखें और हम छक्के लगाएंगे, फ्रंटफुट पर बैटिंग करेंगे। मैं यही कहना चाहती हूं कि जब आप पंचायती राज मंत्री थे तो आपने अनेक संशोधन किए। ग्राम सभा की मीटिंगों का कमेटीज के अंदर, जब 2008 के अंदर आपके नेतृत्व के अंदर यहां पर सरकार बनी, 15वीं विधान सभा से शायद आपका विशेष लगाव हो, 15वीं लोक सभा में आप भारत सरकार में मंत्री बने और 15वीं विधान सभा में आप अध्यक्ष बने। शायद 15 के आंकड़े से आपका कोई खास जुड़ाव रहा होगा, यह मैंने देखा है। मैं यही आशा करती हूं कि सदन के अंदर जो आज उत्तेजना हुई है, मैंने 14 विधान सभा की प्रोसीडिंग्स, डिबेट्स पढ़ी हैं, राजस्थान की। कटारिया साहब सही कह रहे थे कि ऐसे मौके पर ऐसा विवाद आज तक इस सदन में नहीं हुआ और यह आगे भी नहीं होना चाहिए। हम इसकी गरिमा को बनाए रखें। यह सारे सदस्यों का दायित्व है। मैं आशा करती हूं कि आप अपने स्थितप्रज्ञ, स्पष्टवादिता और अनुशासनप्रिय कार्यशैली से इस पांच साल के कार्यकाल में नये कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई। अध्यक्ष महोदय, हमने आपको जनता के लिए लड़ते हुए सदन में देखा।

(श्री बलजीत यादव)

मैं आपकी इस बात से प्रभावित हुआ हूं कि एक तो आपकी स्पष्टवादिता और एक हर मुद्दे पर चाहे विपक्ष में रहे तो जनता की आवाज को उठाते रहे। हम निर्दलीय 12 जीतकर आए हैं, इस बार तीसरी शक्ति के रूप में राजस्थान की जनता ने हमको भेजा है। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि हमारे भी हित का ध्यान रखा जाए। जनता ने बड़ी आशा के साथ हमको भेजा है। आम तौर पर यह देखने को मिलता है कि निर्दलीयों को दबा दिया जाता है। दोनों पार्टियों को समय दे दिया जाता है और इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको समय नहीं मिलता है, इसलिए हम जनता की आवाज को यहां उठा सकें, इसके लिए हमें समय उचित दिया जाएगा। कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की आई हो, आज तक हर पार्टी चाहती है कि विधान सभा कम से कम चले और जनता की आवाज यहां पर नहीं उठा सके और जो कारगुजारियां ये लोग करते हैं, उसको उजागर हम लोग यहां पर नहीं कर सकें। इसलिए आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि जिस प्रकार से आप विपक्ष में रहकर जनता के लिए लड़ते आये, हमें भी मौका दिया जाएगा कि हम भी जनता की आवाज को यहां उठा सकें। धन्यवाद।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आपका सर्वसम्मति से चयन होने पर बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। साहब, हम तो दोनों के दोनों मैम्बर नये आए हैं। हमारे नये साथी और भी आये हैं। आपसे यह दरख्वास्त करते हैं कि आप पांच साल हमें जनता के मुद्दों पर बोलने का पूरा मौका देंगे। जनाब आपसे यह भी निवेदन है, जैसा हमारे निर्दलीय साथी ने कहा है कि निर्दलीयों की या छोटी पार्टी, जैसे हनुमान जी भी बोल रहे थे कि उनको समय कम दिया जाता है। हमारा तो निवेदन यह है कि छोटी पार्टी वालों को भी समय ज्यादा देना चाहिए क्योंकि वे दोनों बड़ी पार्टियों को हरा कर आए हैं इसलिए वह वायदे भी ज्यादा करके आए हैं। हमारा आपसे यह बहुत नम्र निवेदन है कि आप हमारी और राजस्थान प्रदेश की, सारे 199 एमएलएज की भावना के साथ-साथ सबकी भावना की कद्र करेंगे। आज इस सदन में हम जो नये लोगों ने देखा है, पक्ष और विपक्ष दोनों आमने-सामने जिस तरीके की बात कर रहे हैं। एक चीज हमें लगी, साहब, हम चुनाव जीतने के दो दिन बाद विधान सभा के अंदर आए थे, एक कागज पर दस्तखत करवाया गया था, उस कागज पर यह पूछा गया था कि आप मकान कौनसा चाहते हो। हमने लिखकर दे दिया। जब हम आए तो

(श्री बलवान पूनियां)

वह मकान तो गायब हो गया। साहब, ऐसी व्यवस्थाएं विधान सभा में, जनाब, राशन के डीलर करते हैं ऐसा काम। माफी दीजिएगा जनाब, मैं नया-नया हूं, अगर हमने कोई गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा सदन से, पर बड़ा दु:ख हुआ। बी-4 लिखकर दिया था। मेरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी काफी सालों से उसमें रही थी। पिछली बार दुर्भाग्य से हमारा एक भी साथी नहीं आया। हमने लिखकर दिया, आए तो पता नहीं अध्यक्ष जी ने किसको दे दिया। क्या, सर, आप भी अगली बार ऐसा करेंगे ? क्षमा चाहूंगा, सर।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, आपको सदन ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना। आपको बहुत-बहुत बधाई। सदन को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। सदन का प्रत्येक सदस्य आपको लम्बे समय से जानता है। मुझे भी करीब 35-40 साल आपके साथ रहने का मौका मिला। संगठन में मैंने आपके नेतृत्व में काम किया। मुझे प्रसन्नता है कि आपकी अध्यक्षता में हम अपने इलाके की समस्याओं को उठाएंगे। खुशी का विषय है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी भी संवेदनशील हैं। मुख्य मंत्रीजी से राजस्थान को बहुत उम्मीदें हैं। हम लोग निर्दलीय चुनकर आए हैं। मैं समझता हूं जो लोग पार्टी से चुनकर आए हैं, उनका वोट बैंक होता है परन्तु जो निर्दलीय चुनकर आए हैं, एक-एक आदमी ने उनके प्रति कोई जिम्मेवारी दी है, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। मैं चाहूंगा जितने भी मेरे नये साथी आए हैं, विशेष रूप से निर्दलीय के रूप में, उनका विशेष रूप से आप ध्यान रखें क्योंकि उन लोगों की, जहां से वे आए हैं, बहुत उम्मीदें हैं।

मैं एक बार पुन: पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस तरह से आपने प्रोफेसर रहकर यूनिवर्सिटी में अनुशासन चलाया है उसी तरह इस सदन में अनुशासन से समय का सदुपयोग हो। मेरे सभी साथी जानते हैं, सभी साथी चाहते हैं कि बाहर किस तरह की चर्चाएं होती हैं, आम जनता कहती है कि हमारा पैसा है, हमारे पैसे से विधान सभा चलती है, उस पैसे का सदुपयोग हो, समय का सदुपयोग हो, इसी कामना के साथ आपको बहुत-बहुत बधाई।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: मैं समझता हूं कि आप सब की भावना व्यक्त हो गई।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष जी, आपसे एक निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, आपका उच्च शिक्षा मंत्री के नाते, मैं भी उस समय विश्वविद्यालय में अध्यक्ष था। हम 84 लोग नये चुनकर आए हैं। मेरा आपसे केवल यही निवेदन है कि उन 84 लोगों के लिए भी आप अलग से कोई व्यवस्था करे। उनको भी आप बोलने का मौका दें। उनके लिए पर्ची सिस्टम में अलग से कोई व्यवस्था करवाएं ताकि हम 84 लोगों को भी अपनी बात रखने का मौका मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष सी.पी. जोशी, श्री, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, का आभार

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सर्वसम्मति से आपने इस पद भार पर मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया उसके लिए मैं आप सबका व्यक्तिगत तौर पर बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। न केवल माननीय सदस्यों का, सभी दलों का भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन सब दलों ने भी यह विश्वास व्यक्त किया है कि इस पद पर बैठकर मैं न्याय कर पाऊंगा, निष्पक्ष निर्णय कर पाऊंगा। आपने यह विश्वास व्यक्त किया उसके लिए मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

आप सब जानते हैं कि इस गरिमामय पद पर हमारे राजस्थान के मूर्धन्य नेता बैठे हुए हैं। इस पद की बड़ी गरिमा रही हुई है। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों ने जिन्होंने इस पद की गरिमा को बनाया है उस गरिमा को बनाने का मैं काम करूं। आपके विश्वास पर ही यह काम सम्पादित हो सकता है। मैं आशा करूंगा कि आप सब मुझे ताकत देंगे, मुझे विश्वास व्यक्त करेंगे नियम और कानून के अंतर्गत, जिससे इस पद की गरिमा को हम आगे बढ़ा सकें।

आप सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में कुछ नियम और कानून हैं। यह विधान सभा कानून व नियम से चलती है, परम्पराओं से चलती है। नियम और कानून को यदि हम ठीक ढंग से उपयोग में लें तो ज्यादा से ज्यादा समय का उपयोग कर अपनी बात कह सकते हैं। कम समय में अपनी बात कहना, उसके लिए आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होना चाहिए।

(श्री अध्यक्ष)

जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना हम संक्षिप्त समय का उपयोग लेकर अपनी बात कह सकेंगे।

दो सौ माननीय विधान सभा के सदस्य हमारे अलग-अलग प्रांत के निवासी हैं, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, उनकी तकलीफों को अभिव्यक्त करने के लिए सदन में आते हैं, इसलिए सदन का समय बहुत उपयोगी है। मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि नियम और कानून के अंतर्गत हम किस तरह से कम समय में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर सकें, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकें जिससे सरकार उन जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सके, उसका यदि हम उपयोग ले सकेंगे तो हम सबके लिए सार्थक चर्चा हो सकेगी।

संसदीय लोकतंत्र में यह एक आवश्यक चीज है जिसको भी समझने की आवश्यकता है। यह रिवोल्यूएशन नहीं है, डैमोक्रेसी में इवोल्यूएशन होता है। 1947 से लगाकर जब देश आजाद हुआ, 1952 से चुनाव प्रारम्भ हुए, 1952 से इस 15वीं विधान सभा में, इसी सदन में डिसकशन, डिबेट और डीसेंट हुआ। नियम बने, कानून बने, हमने वह सब चीजें कीं जिससे हम आज राजस्थान को विकसित राजस्थान के रूप में देख रहे हैं। किसने कल्पना की थी कि जमीन का मालिकाना हक किसान को मिलेगा, इसी सदन में बैठकर लोगों ने चर्चा की थी, हमने वह सब कानून और नियम बनाए जिससे एक साधारण आदमी को भी जमीन का हक मिल सका। यह इसलिए बन सका कि हम सदन में बैठकर चर्चा कर सकें। इस सदन की गौरव और गरिमापूर्ण निर्णय करने की एक परम्परा रही है। मैं आशा करता हूं कि नई सदी में, नई चीजें आ गईं उनके संबंध में भी हम चर्चा करें। अभी तक हम चर्चा करते रहे सड़क की, अभी तक हम चर्चा करते रहे अस्पताल की, अभी तक हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर की चर्चा की, इन्फ्रास्ट्रक्चर हमने डवलप भी किया, इस बात का हमें गर्व भी है कि हमने राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किया। आज समाज का एक ऐसा अंग, एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए आज आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। गांव में जाएं, हम हैमलेट में जाकर देखें, आज भी पीने के पानी की जितनी आवश्यकता होनी चाहिए, बिजली पहुंचने की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल में बच्चे समय पर पहुंच सकें, स्कूल का असेसमेंट उसके पास हो सके, असेसेबिलिटी, ये सब समस्याएं आज हैमलेट्स में भी हमारे सामने नजर आती हैं।

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान की ज्योग्राफी है वह इतनी विचित्र है कि यदि हम बाड़मेर को कम्पेयर करें, जैसलमेर को कम्पेयर करें, साउथ राजस्थान को कम्पेयर करें तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इसलिए राजस्थान में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। जमाना बदल रहा है, टैक्नोलोजी का जमाना आ गया है, राजस्थान में डेमोग्रेफी भी बदल गई है। आज नौजवान पीढ़ी के लोग बहुत ज्यादा अपेक्षा करते हैं कि उनकी एस्पीरेशन को हम किस तरह से एड्रेस कर सकेंगे। सदन में यह हम सबके सामने चुनौती है कि आने वाले समय में हम चर्चा करें, इन सब मुद्दों पर चर्चा करें जिसकी नौजवान लोग हमसे आशा करते हैं कि सदन में बैठकर हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। नौजवान आशा करता है कि बेरोजगारी की समस्या का निदान होगा। नौजवान आशा करता है कि राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, नौजवान आशा करता है कि एंटरप्रिन्यूरल एक्टिविटी के माध्यम से वह स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने का काम कर सकेगा। इस दृष्टि में हमने कुछ काम किए हैं पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है।

आज शिक्षा के क्षेत्र में हमने एक्सपांशन किया है पर क्वालिटी आफ एजुकेशन इम्पार्ट करना बहुत बड़ी आवश्यकता का काम है। आज सोशल डिवाइड तो है ही यह लेकिन एजुकेशन का डिवाइड बहुत सिंसियर है कि गांव में रहने वाले बच्चे को यदि क्वालिटी आफ एजुकेशन उपलब्ध नहीं है, शहर में रहने वाले बच्चे को यदि क्वालिटी आफ एजुकेशन है तो यह जो विषमता है वह आने वाले समय में संसदीय लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा खतरा कर देगी। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब गम्भीरता से एंटीसिपेट करें कि आने वाले समय में हम राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या हम राजस्थान के उस विकास की कल्पना कर सकते हैं जहां पीने के पानी के लिए भी तकलीफ है, जहां एक परसेंट पानी उपलब्ध है, जहां बहुत बड़ा भूभाग उपलब्ध है, जहां यहां पर पहली पीढ़ी के लोग पढ़-लिखकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं उनकी आकांक्षा को हम कैसे पूरा करेंगे, इस संबंध में डिसकस किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि यह विधान सभा इन चैलेंजेज को एक्सेप्ट करेगी और आने वाले समय इन सब पर चर्चा करके, हमारे विपक्ष के साथी हैं वह सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि वह इस तरह की नीतियां बनाएंगे जिससे नई पीढ़ी के लोग संसदीय लोकतंत्र में और ज्यादा विश्वास कर सकें।

(श्री अध्यक्ष)

आज संसदीय लोकतंत्र के बारे में लोगों के सामने चर्चा खड़ी हो गई कि आज देश में संसदीय लोकतंत्र आगे जाकर मजबूत रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, यह हमारे सामने भी चुनौती है कि हम आप सब मिलकर इस संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करें। क्योंकि इस देश में संसदीय लोकतंत्र ही एक ऐसी परम्परा है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, दल में रहने वाला बात कह सकता है। एक पार्टी का एक सदस्य भी हो तब भी वह अपनी बात कह सकता है, यदि उसको नियम और कानून ठीक ढंग से मालूम हो तो पिटीशन के माध्यम से वह चीजों को जनता के बीच में ला सकता है। इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यदि नियम और कानून की जानकारी ठीक ढंग से है तो जिस जिम्मेदारी के लिए जनता ने हमें यहां भेजा है उसको हम पूरा कर सकेंगे।

मैं आशा करता हूं कि आप मेरी भावानाओं को समझेंगे और आप और हम सब मिलकर आज हमने जो डिबेट देखी उससे परे हटकर, क्योंकि डिस्कशन भी होगा, डिबेट भी होगी, डीसेंट भी होगा, पर हम समय का उपयोग लेकर किस तरह से एक नये राजस्थान को बनाने के लिए अपने आपको कंट्रीब्यूट कर सकें उसमें आप सब अपनी भागीदारी निभाएंगे, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे नये सदस्य हों, चाहे छोटे दल के सदस्य हों, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पद की गरिमा को बनाये रखने के लिए मैं आपको पूर्णतया से आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की कोई बात हो, दल की कोई बात हो, मैं पूर्णतया से कोशिश करूंगा कि मैं निष्पक्ष ढंग से निर्णय करके सदन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस काम में मेरी सहायता करेंगे।

हमारे जो नये साथी हैं, माननीय सदस्य चुनकर आए हैं उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नियम 269 को जरूर पढ़ें। जब तक हम नियम 269 नहीं पढ़ेंगे तो हम सदन में किस तरह की चर्चा कर रहे हैं उसमें बाध्यता खड़ी हो जाती है। यदि 269 को हमारे पुराने साथी भी पढ़ लें, रिफ्रेश कर लें और नये साथियों के सामने आदर्श प्रस्तुत कर लें तो मैं समझता हूं कि डिबेट में आज जो कुछ भी चीज नजर आई वह भविष्य में नजर नहीं आएगी। मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर नियम और कानून का पालन करेंगे और संसदीय परम्पराओं को मजबूत करने का काम करेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

अंत में मैं एक बार पुन: आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपने मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस पद की गरिमा को बनाए रखते हुए मैं निष्पक्षता से सदन को चलाने का काम करूंगा। आइये, आप सब मुझे ताकत दीजिए, मैं निष्पक्ष ढंग से निर्णय कर सकूं और आप और हम सब मिलकर इस नये राजस्थान को बनाने में जनता की अपेक्षा के लिए काम कर सकें, ऐसी मैं सबसे अपेक्षा करता हूं। एक बार मैं पुन: आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। नव वर्ष की शुभकामना करता हूं और आशा करता हूं यह सदन नये कीर्तिमान स्थापित करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 17 जनवरी 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.49 बजे गुरुवार, दिनांक 17 जनवरी 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)